

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 01/23

दायरा दिनांक 06.01.2023

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

- 1-जगदीश पुत्र चुन्नीलाल उम्र 54 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 2-गब्बोबाई पुत्री चुन्नीलाल उम्र 66 वर्ष पत्नि घासीलाल जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल निवासी रातईकला तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 3-मोत्याबाई पुत्री चुन्नीलाल उम्र 62 वर्ष पत्नि घासीलाल जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल निवासी पीपलखेडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 4-मुन्नीबाई पुत्री चुन्नीलाल उम्र 52 वर्ष पत्नि फूलचन्द जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल निवासी कलोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 5-कमलेश पुत्री चुन्नीलाल उम्र 50 वर्ष पत्नि अरुणकुमार जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल निवासी कस्बाथाना तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 6-चन्दनिया पुत्री नानजी उम्र 74 वर्ष पत्नि कल्लूलाल जाति किराड निवासी राजपुर हाल निवासी महोदरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 7-रूपा पुत्री नानजी उम्र 82 वर्ष पत्नि श्रीलाल जाति किराड निवासी राजपुर हाल निवासी समरानियां तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

- 1-विंजो पुत्री लक्ष्मणलाल पत्नि गज्जू जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी भैंसरावन तहसील पोहरी जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
- 2-तुरसां पुत्री लक्ष्मणलाल पत्नि नन्दू जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल निवासी गणेशपुरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान रामजीलाल पुत्र मिश्री जाति किराड निवासी ग्राम निवाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 3-केसरी पुत्र मिश्री जाति किराड निवासी ग्राम निवाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 4-गजानन्द पुत्र मिश्री जाति किराड निवासी ग्राम निवाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 5-कसूमल पुत्री मिश्री पत्नि रामचरण जाति किराड निवासी ग्राम निवाडी हाल निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 6-कन्हैयालाल पुत्र हरिकिशन जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- 7-रमेश पुत्र हरिकिशन जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान


उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद



- 8-बृजमोहन पुत्र हरिकिशन जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 9-कैलाश पुत्र हरिकिशन जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 10-कपूरीबाई पुत्री हरिकिशन पत्नि गणेशलाल जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 11-ललिता पुत्री हरिकिशन पत्नि मथुरा जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल निवासी खटका तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 12-बलराम पुत्र बद्दी जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 13-जानकी पुत्री बद्दी पत्नि घासीलाल जाति किराड निवासी ग्राम राजपुर हाल निवासी खटका तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
 14-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट
 आदेश/निर्णय दिनांक- 22.04.2025

उपस्थित -

प्रार्थीगण की ओर से-श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
 अप्रार्थीगण की ओर से-श्री प्रकाशचन्द्र नामदेव एडवोकेट


प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद के खाता संख्या 82 में आराजी ख0नं0 73 रकबा 4.06 बीघा, ख0नं0 110/618 रकबा 0.01 बीघा, ख0नं0 205 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 208 रकबा 0.06 बीघा, ख0नं0 225 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं0 460 रकबा 11.15 बीघा, ख0नं0 461 रकबा 6.01 बीघा तथा ख0नं0 462 रकबा 0.13 बीघा किता 8 कुल 24.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जिसे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी सेटलमेन्ट पूर्व कमशः ख0नं0 21 रकबा 4.05 बीघा, ख0नं0 686 रकबा 17.15 बीघा, ख0नं0 733/120 रकबा 9 विस्वा, ख0नं0 732/120 रकबा 12 विस्वा, ख0नं0 123 रकबा 9 विस्वा, ख0नं0 464/402 रकबा 14 विस्वा, ख0नं0 295 रकबा 2 विस्वा, ख0नं0 410 रकबा 6 विस्वा तथा ख0नं0 411 रकबा 5 विस्वा किता 9 कुल क्षेत्रफल 24.17 बीघा रही है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 में दर्ज है जिसके मूलखातेदार प्रार्थी कम 1 ता 5 के पितामह तथा प्रार्थी कम 6 व 7 के पिता नानजी पुत्र देवलाल, अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थी कम 3 ता 6 के नाना लछमन पुत्र देवलाल एवं अप्रार्थी कम 7 ता 12 के पितामह तथा अप्रार्थी कम 13 व 14 के पिता बद्दी पुत्र देवलाल जाति किराड निवासी राजपुर हिस्सा बराबर से दर्ज होकर काबिज काश्त रहे हैं, जिनमें से खातेदार लछमन की मृत्यु उपरान्त फोती नामान्तरण संख्या 1012 के जरिये लछमन की पुत्रियां चिन्जो व तुरसां के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज किये गये हैं। इसी आराजी को सेटलमेन्ट

22.04.2025
 उपसभ अधिकारी
 शाहावाद

पश्चात नये ख०नं० 73 रकबा 4.06 बीघा, ख०नं० 110/618 रकबा 0.01 बीघा, ख०नं० 205 रकबा 0.04 बीघा, ख०नं० 208 रकबा 0.06 बीघा, ख०नं० 225 रकबा 0.14 बीघा, ख०नं० 460 रकबा 11.15 बीघा, ख०नं० 461 रकबा 6.01 बीघा तथा ख०नं० 462 रकबा 0.13 बीघा किता 8 कुल क्षेत्रफल 24.00 बीघा दिये जाकर खाते से मूलखातेदार नानजी व बंदी के नाम हटाकर मात्र दाखो चिंजो तुरसा पुत्रियां लछमन कोम किराड निवासी राजपुर के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज किया गया है। वक्त सेटलमेन्ट तहसील शाहावाद में खसरा मीलान तैयार नहीं किया गया है, इस कारण राजस्व विभाग यह बताने में असमर्थ है कि पुराने खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बरान कौन से हैं, परन्तु सेटलमेन्ट पूर्व उक्त विवादित आराजी खाते के अलावा लछमन पुत्र देवलाल के नाम पृथक से अन्य कोई खाता मौजूद नहीं रहा है और ना ही सेटलमेन्ट पश्चात नानजी बंदी पुत्र देवलाल चिन्जो तुरसा पुत्रियां देवलाल किराड निवासी राजपुर के नाम से अन्य कोई खाता दर्ज किया गया है, जो इस बात का निश्चयक है कि सेटलमेन्ट पूर्व के दर्ज ख०नं० 21 रकबा 4.05 बीघा, ख०नं० 686 रकबा 17.15 बीघा, ख०नं० 733/120 रकबा 9 विस्वा, ख०नं० 732/120 रकबा 12 विस्वा, ख०नं० 123 रकबा 9 विस्वा, ख०नं० 464/402 रकबा 14 विस्वा, ख०नं० 295 रकबा 2 विस्वा, ख०नं० 410 रकबा 6 विस्वा तथा ख०नं० 411 रकबा 5 विस्वा किता 9 कुल क्षेत्रफल 24.17 बीघा ही सेटलमेन्ट पश्चात के नये ख०नं० 73 रकबा 4.06 बीघा, ख०नं० 110/618 रकबा 0.01 बीघा, ख०नं० 205 रकबा 0.04 बीघा, ख०नं० 208 रकबा 0.06 बीघा, ख०नं० 225 रकबा 0.14 बीघा, ख०नं० 460 रकबा 11.15 बीघा, ख०नं० 461 रकबा 6.01 बीघा तथा ख०नं० 462 रकबा 0.13 बीघा किता 8 कुल क्षेत्रफल 24.00 बीघा हैं। इस प्रकार विवादित आराजी नानजी बंदी वल्द देवलाल तथा चिंजो तुरसी (तुरसा) पुत्रियां लछमन कोम किराड निवासी राजपुर के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज रही है, इसके बावजूद सेटलमेन्ट अथार्टी ने अवैधानिक तौर पर विवादित आराजी खाते में से मूलखातेदार नानजी बंदी वल्द देवलाल का नाम बिना किसी सक्षम आदेश अथवा अधिकारिता के हटाकर दाखो का नाम जोड़ते हुये सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2039 में नया खाता संख्या 22 दाखो चिंजो तुरसा पिता लछमन के नाम से कायम कर दिया है, जबकि सेटलमेन्ट अथार्टी को पूर्व से दर्ज खाता इन्द्राज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार विवादित आराजी के मूलखातेदार प्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पितामह तथा प्रार्थी क्रम 6 व 7 के पिता नानजी पुत्र देवलाल, अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थी क्रम 3 ता 6 के नाना लछमन पुत्र देवलाल एवं अप्रार्थी क्रम 7 ता 12 के पितामह तथा अप्रार्थी क्रम 13 व 14 के पिता बंदी पुत्र देवलाल जाति किराड निवासी राजपुर हिस्सा बराबर से रहे हैं और आज भी विवादित आराजी को प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण इसी अनुसार काशत करते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद सेटलमेन्ट अथार्टी ने अवैधानिक तौर पर विवादित आराजी खाते में से मूलखातेदार प्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पितामह व 6, 7 के पिता नानजी पुत्र देवलाल तथा अप्रार्थी क्रम 7 ता 12 के पितामह व अप्रार्थी क्रम 13, 14 के पिता बंदी पुत्र देवलाल का नाम बिना किसी सक्षम आदेश अथवा अधिकारिता

22.04.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

के हटाकर मनमाने तौर पर दाखो का नाम जोड़ते हुये सम्पूर्ण विवादित आराजी सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2039 में नया खाता संख्या 22 कायम कर दाखो चिंजो तुरसा पिता लछमन के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज कर दी है, जबकि विवादित आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 का संयुक्त हिस्सा 1/3, अप्रार्थी क्रम 7 ता 14 का संयुक्त हिस्सा 1/3 तथा प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा 1/3 निहित है, जिस पर प्रार्थीगण अपने पितामह/पिता नानजी के समय से काबिज होकर निरंतर काश्त करते चले आ रहे हैं और इस आधार पर प्रार्थीगण विवादित आराजी के हिस्सा 1/3 को अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने तथा विभाजन करा-कर अपने नाम प्रथक से खाता दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी व नालिशी हैं, इस हेतु मूल वाद प्रथक से पेश कर दिया है। दिनांक 18.04.2022 को के.सी.सी. बनवाने हेतु हल्का पटवारी से विवादित आराजी खाते की नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी खाते में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज नहीं है और प्रार्थीगण के पितामह/पिता नानजी पुत्र देवलाल का नाम भी हटा दिया गया है तब प्रार्थीगण ने विवादित आराजी का पुराना रिकार्ड प्राप्त किया और प्रार्थीगण की प्रथम जानकारी से यह प्रार्थनापत्र उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थीगण ने दिनांक 18.04.2022 को अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 से विवादित आराजी खाते को सेटलमेन्ट पूर्व के इन्द्राज के आधार पर दुरुस्त करा कर प्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज कराने का अनुरोध किया तो अप्रार्थीगण ने साफ इनकार कर दिया और वर्तमान गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि अन्य को विक्रय कर प्रार्थीगण को हिस्सा आराजी 1/3 से बेदखल करने की धमकी दी। इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 विवादित आराजी अन्य को विक्रय कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त कृत्य व मंसूवे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णाय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा, अनावश्यक लिटीगेशन उत्पन्न होगा। इस कारण प्रार्थीगण ताफैसला वाद विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के हकदार हैं। विवादित आराजी खाते के मूलखातेदार बद्दी पुत्र देवलाल के विधिक वारिसान उत्तराधिकारी होने से अप्रार्थी क्रम 7 ता 14 को प्रार्थनापत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। अप्रार्थीक्रम 15 सर्वोच्च भू स्वामी होने से वाद के पक्षकार हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खाता संख्या 82 में आराजी ख0नं0 73 रकबा 4.06 बीघा, ख0नं0 110/618 रकबा 0.01 बीघा, ख0नं0 205 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 208 रकबा 0.06 बीघा, ख0नं0 225 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं0 460 रकबा 11.15 बीघा, ख0नं0 461 रकबा 6.01 बीघा तथा ख0नं0 462 रकबा 0.13 बीघा कित्ता 8 कुल 24.00 बीघा ग्राम राजपुर तहसील शाहाबाद के किसी भी भाग को विक्रय, दान, वसीयत अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करें।


 22.04.2025
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहाबाद

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीकम 1 चिंजो की ओर से जर्जे वकील जबाव पेश किया गया। जबाव में विवादित आराजी का स्थित होना स्वीकार करते हुये प्रार्थनापत्र की शेष मद को अस्वीकार किया गया और अतिरिक्त जबाव प्रार्थनापत्र अन्तर्गत कथन किया कि अप्रार्थीकम 1 चिंजो ने इसी न्यायालय में वाद संख्या 8/22 अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. वउनवान चिंजो बनाम दक्खो वगैरा प्रस्तुत कर रखा है। विवादित आराजी ख0नं0 73 रकवा 4.06 बीघा, ख0नं0 110/618 रकवा 0.01 बीघा, ख0नं0 205 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 208 रकवा 0.06 बीघा, ख0नं0 225 रकवा 0.14 बीघा, ख0नं0 460 रकवा 11.15 बीघा, ख0नं0 461 रकवा 6.01 बीघा तथा ख0नं0 462 रकवा 0.13 बीघा कित्ता 8 कुल 24.00 बीघा वर्षों से व वर्तमान में चिंजो दक्खो तुरसां पुत्री लक्ष्मणलाल किराड निवासी राजपुर के नाम 1/3 हिस्सा बराबर दर्ज है। लक्ष्मणलाल के फोट होने के बाद यह आराजी चिंजो दक्खो तुरसा के नाम आई है। इस कारण चिंजो का हिस्सा 1/3 बनता है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र नियम विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी मूल रूप से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के पूर्वज नानजी बद्री लछमन पुत्र देवलाल किराड निवासी राजपुर के खाते की रही है, जिसे सेटलमेंट अथार्टी ने बिना किसी सक्षम आदेश अथवा बिना अधिकारिता के खातेदार नानजी तथा बद्री के नाम हटाकर लछमन की पुत्रियां दाखो चिंजो तुरसा के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज कर दिया है, जबकि प्रार्थीगण मूलखातेदार नानजी के वारिस होने से हिस्सा 1/3 के हकदार हैं। इस संदर्भ में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व की प्रस्तुत की गई जमाबंदी ग्राम राजपुर सम्वत 2016-19 अनुसार आराजी ख0नं0 21 रकवा 4.05 बीघा, ख0नं0 686 रकवा 17.15 बीघा, ख0नं0 733/120 रकवा 9 विस्वा, ख0नं0 732/120 रकवा 12 विस्वा, ख0नं0 123 रकवा 9 विस्वा, ख0नं0 464/402 रकवा 14 विस्वा, ख0नं0 295 रकवा 2 विस्वा, ख0नं0 410 रकवा 6 विस्वा तथा ख0नं0 411 रकवा 5 विस्वा कित्ता 9 कुल क्षेत्रफल 24.17 बीघा का खाता नानजी बद्री वल्द देवलाल चिंजो तुरसी बेटे लछमनलाल के नाम दर्ज रहा है, इस खाते में नामा0 नं0 1012 का नोट अंकित है, नामा0 नं0 1012 की नकल भी प्रस्तुत है, इस नामा0 पर पारित आदेश अनुसार खातेदार लछमन के फोट होने पर लछमन की 3 लडकियां मौजूद थीं, जिनमें से 1 लडकी दक्खो का शादीशुदा होना तथा 2 लडकियां चिंजो व तुरसा का अपने ताऊ (पिता के बडे भाई) श्री बद्री नानजी की सरपरस्ती में होना पाया गया था और लछमन के स्थान पर हिस्सा 1/3 में पुत्री चिंजो व तुरसा के नाम विरासत स्वीकार की गई, जिसका अमल प्रस्तुत जमाबंदी 2016-19 में किया गया है। सेटलमेंट के बाद तैयार की गई जमाबंदी सम्वत 2020-39 खाता संख्या 22 अनुसार आराजी ख0नं0 73 रकवा 4.06 बीघा, ख0नं0 110/618 रकवा 0.01 बीघा, ख0नं0 205 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 208 रकवा 0.06 बीघा, ख0नं0 225 रकवा 0.14 बीघा, ख0नं0 460 रकवा 11.15 बीघा, ख0नं0 461 रकवा 6.01 बीघा तथा ख0नं0 462 रकवा 0.13 बीघा कित्ता 8 कुल

22/04/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

24.00 बीघा का खाता दाखो चिंजो तुरसा पिता लछमन के नाम दर्ज होना पाया गया है। वकील प्रार्थी के कथनानुसार अनुसार अप्रार्थी दाखो चिंजो तुरसा के नाम सेटलमेंट से पूर्व विवादित खाते के अलावा अलग से अन्य कोई खाता दर्ज नहीं रहा है मात्र यही एक खाता दर्ज रहा है, जिसे सेटलमेंट के बाद दाखो चिंजो तुरसा के नाम दर्ज किया गया है, जिसका अप्रार्थीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया और ना ही यह बताया गया कि वर्तमान में दर्ज विवादित आराजी खाता सेटलमेंट पूर्व दर्ज खाते से भिन्न कोई खाता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नामा 0 नं 1012 में जब लछमन की विरासत दाखो के नाम दर्ज ही नहीं की गई थी तो जमाबंदी 2020-39 में दाखो का नाम चिंजो तुरसा के साथ किस आधार पर दर्ज कर दिया गया है। इन प्रश्नों का निर्धारण मूल वाद में दोनों पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के उपरान्त किया जावेगा। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि विवादित आराजी खाते में उनके पूर्वज नानजी का नाम हिस्सा 1/3 से दर्ज रहा है, जिसे सेटलमेंट के समय खाते से हटा दिया गया है और विवादित आराजी को दाखो चिंजो तुरसा पुत्रियां लछमन के नाम गलत दर्ज कर दी गई है। विवादित आराजी वर्तमान जमाबंदी अनुसार अप्रार्थीकम 1 ता 5 के नाम दर्ज है, जिसके अंतरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भूमि के जैर वाद अंतरण होने पर अनावश्यक विवाद पैदा होने की पूर्ण संभावना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीकम 1 ता 5 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण होने तक विवादित आराजी ख0नं 73 रकबा 4.06 बीघा, ख0नं 110/618 रकबा 0.01 बीघा, ख0नं 205 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं 208 रकबा 0.06 बीघा, ख0नं 225 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं 460 रकबा 11.15 बीघा, ख0नं 461 रकबा 6.01 बीघा तथा ख0नं 462 रकबा 0.13 बीघा कित्ता 8 कुल 24.00 बीघा ग्राम राजपुर तहसील शाहाबाद के किसी भी भाग को विक्रय, दान, वसीयत अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे और रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे। आदेश/निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रार्थनापत्र फैसल होकर पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न रहे।।

28/05/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद